कार्यालय, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर

Web Site- https://nagarseva.bihar.gov.in/muzaffarpur/, E-mail ID-mmc-muz-bih@nic.in, muzaffarpur.ulb@gmail.com Fax No.-0621-2214506

पत्रांक-- ..... दिनांक ...../2018

प्रेषक,

संजय दूबे, *भा0प्र0से0*

नगर आयुक्त,

मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001

विषय :– **लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं के अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी शहरी स्थानीय निकाय सामाजिक प्रक्षेत्र–1, बिहार, पटना के अंकेक्षण वर्ष 2014–15 का अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 1605/2015–16 का अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से संबंधित कंडिकाओं को विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(संजय दूबे)
नगर आयुक्त,
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 2342/ मु0न0नि0, मुज0 दिनांक 28/12/2018

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(संजय दूबे)
नगर आयुक्त,
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर

Web Site- https://nagarseva.bihar.gov.in/muzaffarpur/, E-mail ID-mmc-muz-bih@nic.in, muzaffarpur.ulb@gmail.com Fax No.-0621-2214506

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लेखाओं पर आधारित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 1605/2015–16 में लेखा परीक्षा से प्राप्त आपत्ति का कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन।

कंडिका सं0	आपत्ति का सार	कार्यालय द्वारा प्रदत्त जवाब	टिप्पणी
भाग 1 कंडिका 4	पूर्ववर्त्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित भेजा जाय।	पूर्ववर्त्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं को अनुपालन प्रतिवेदन भेज दी गयी है।	
भाग 1 कंडिका 6	प्रत्येक वर्ष बजट प्राक्कलन तैयार किया जाय एवं ससमय इसे सरकार को प्रेषित किया जाय।	प्रत्येक वर्ष बजट प्राक्कलन तैयार कर सरकार को प्रेषित किया जाता है। सुझाव के अनुसार आगे से ससमय सरकार को प्रेषित किया जाएगा।	
भाग 1 कंडिका 8	ब्याज की राशि रोकड़ बही में प्रविष्ट की जाय, रदद् चेकों को रोकड़ बही में निरस्त किया जाय तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार किया जाय।	ब्याज की राशि रोकड़ बही में प्रविष्टि कर दी गयी है। सुझाव के अनुसार रद्द चेकों को रोकड़ बही में निरस्त किया जाएगा तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार की जा रही है।	
भाग 1 कंडिका 10	एक मद के लिए एक रोकड़ बही तथा एक बैंक खाता संधारित किया जाय।	एक मद का एक बैंक खाता संधारण की कार्रवाई की जा रही है।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 1	स्टॉल किराएदारों एवं मोबाईल टावरों से सेवाकर रू0 37.21 लाख की वसूली की जाय।	मोबाईल टावर से वसूली के विरूद्ध सेवाकर की राशि जमा की जा रही है। जो सेवाकर नहीं दिये है उनसे वसूली की कार्रवाई की जा रही है।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 2	दुकानों का किराया नियमानुसार सालाना वृद्धि कर क्षति राशि रू0 37.21 लाख की वसूली की जाय।	नियमानुकुल कार्रवाई की जा रही है।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 3	विज्ञापन कर की बकाया राशि रू0 19.20 लाख संबंधित एजेन्सी से वसूल की जाय।	राशि की वसूली हेतु विधि–सम्मत कार्यवाई की जा रही है।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 4	सेवाकर मद में रू0 6.02 लाख की कम वसूली के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाय।	पूर्व से स्टाम्प किराया के साथ सेवाकर नही लिया जाता था। आदेश (वर्ष–2013–14) होने के पश्चात् इसकी वसूली शुरू की गई।	

भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 5	दुकान निर्माण में प्रावधानों के उल्लंघन के कारण रू0 22.46 लाख का व्यय निष्फल। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाय।	माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उक्त बने दूकानों को तोड़ा गया।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 6	विज्ञापन कर की विभागीय वसूली के कारण निर्धारित दर से 4.01 लाख की कम वसूली के लिए जिम्मेवार व्यक्ति के विरूद्ध की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाय।	संवेदक को दिये गये निविदा की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विभागीय वसूली की गई।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 7	सैरातों की बन्दोबस्ती नहीं करने से रू0 2. 28 लाख की क्षति हुई। 4 सैरातों की बन्दोबस्ती क्यों नहीं की जा सकी, स्पष्ट किया जाय।	क्र0 सं0 1 "गौ–ग्राम संरक्षण–संवर्धन परिषद, सिकन्दरपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार द्वारा दिनांक 28. 07.2014को नगर निगम परिसर में धरना कर बन्दोबस्ती का विरोध किये जाने पर तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा कार्यालय पत्रांक–1217 दिनांक 28.07.2014 के माध्यम से इसकी बन्दोबस्ती स्थगित कर दी गयी थी जिसे आने वाले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जाएगा। क्र0 सं0 2 तथैव क्र0 सं0 3 माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में इस सैरात की बन्दोबस्ती नहीं की गयी जिसे आने वाले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जाएगा। क्र0 सं0 4 इस सैरात की वसूली हेतु दैनिक समाचार–पत्र के माध्यम से दिनांक 12. 06.2014, 14.06.2014, 16.06.2014, 28.07.2014, 31.07.2014 एवं 01.08.2014 को बन्दोबस्ती सूचना आमंत्रित किया गया, परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा इस सैरात की बन्दोबस्ती नहीं ली गयी फलस्वरूप निगम द्वारा अभियान चलाकर समय–समय पर आवारा पशुओं के स्वामियों से दण्ड की वसली की गयी।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 8	जलापूर्त्ति हेतु उपभोक्ता शुल्क की राशि रू0 67.49 लाख क्यों अधिरोपित एवं वसूली नहीं की गई?	इस संबंध में निगम सशक्त स्थायी समिति एवं बोर्ड के निर्णय के आलोक में शहरी क्षेत्र में समुचित जलापूर्त्ति होने के बाद इसे लागू किया जाएगा।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 9	सैरातों की बन्दोबस्ती स्टाम्प पेपर पर नहीं करने से राजस्व हानि की राशि रू0 0.59 लाख संबंधित व्यक्ति से वसूल किया जाय।	सरकार के पत्रांक 1920/मुख्य सचिव दिनांक 14.08.2002 तथा सचिव–सह–महानिरीक्षक के पत्रांक 541 दिनांक 15.03.2005 निगम कार्यालय में अप्राप्त रहने के कारण इस राशि को लिये जाने का शर्त निविदा प्रकाशन में नहीं रखा जा सका। अंकेक्षण दल द्वारा इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के पश्चात् इसके बाद से प्रकाशित किये जाने वाले प्रत्येक बन्दोबस्ती सूचना में 3 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क मद में राशि जमा कराने का शर्त रखा गया एवं तदनुसार स्टाम्प शुल्क मद में राशि भी निगम कोष में जमा कराया गया।	

भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 10	दुकानों पर बकाया किराया राशि रू0 47.26 लाख की वसूली सुनिश्चित की जाय।	वसूली हेतु नियमानुकुल कार्रवाई की जा रही है।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 11	होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि रू0 544.87 लाख वसूली कर निगम के खातें में जमा किया जाय।	बड़े–बड़े बकायेदारों को बार–बार नोटिस दिया जाता है साथ ही पुलिस बल के साथ वसूली की कार्रवाई की जाती है जो संल्गन बील की छाया प्रति से स्पष्ट है। (छाया प्रति संलग्न) परिशिष्ट 1 पर।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 12	सरकारी भवनों पर बकाया राशि रू0 35.18 करोड़ की वसूली की जाय।	सरकारी भवनों पर नियामानुसार कार्रवाई की जा रही है। संबंधित बकायेदारों को डिमाण्ड नोटिश भेजा जा चुका है, शेष में केन्द्रीय संस्थान पर आपत्ति भी विचारणीय है।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 13	नक्शा स्वीकृति में डेवलपमेंट फीस की वसूली सुनिश्चित की जाय।	निगम मे विकास परमिट फीस लागू है, परन्तु भू–खण्ड के विकास अनुज्ञा के संबंध में कोई नक्शा समर्पित नहीं हुआ है। ऐसा होने पर विकास शुल्क प्रभावी रहेगा।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 14	सैरातों की विभागीय वसूली के कारण रू0 31.24 लाख की क्षति के लिए जिम्मेवार व्यक्ति से वसूली की जाय।	दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित तिथियों 12.06.2014, 14.06.2014 एवं 16.06.2014 को कोई भी व्यक्ति बन्दोबस्ती में भाग लेने नहीं आया जिस कारण उक्त तिथियों को बन्दोबस्ती से संबंधित कोई भी साक्ष्य संचिका में उपलब्ध नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में सतपुरा स्लॉटर हाउस को पुनः कार्यालय पत्रांक 820 दिनांक 27.05.2014 को निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग को भेजे जाने वाले बन्दोबस्ती सूची से हटाया गया जिसे आने वाले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जाएगा। बार–बार बन्दोबस्ती सूचना का प्रकाशन कराये जाने के बावजूद भी वर्णित तीनों सैरात यथा– टेम्पू पड़ाव, सतपुरा नीम चौक सब्जी बाजार एवं टीन टिकट की बन्दोबस्ती लेने कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ, फलस्वरूप उक्त तीनों सैरातों की विभागीय वसूली करायी गयी।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 15	संवेदकों से कार्य पूर्णता में विलम्ब के लिए विलम्ब शुल्क की राशि रू0 2.34 लाख की वसूली की जाय।	संवेदक को समय वृद्धि हेतु दिये गये प्रपत्र पर अभियंताओं द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में समय वृद्धि की स्वीकृति दी गई थी जिसमें समय वृद्धि का कारण दर्शाया गया था। वर्त्तमान में कार्य ससमय समाप्त नहीं करने वाले संवेदक को नोटिस निर्गत किया जाता है एवं समय वृद्धि की कटौती कर ही भुगतान किया जा रहा है।	

भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 16	राज्य योजना अन्तर्गत निविदा सं0 01/13–14 में किए गए निर्माण कार्य में एम.एन. प्रपत्र नहीं, कार्य समाप्ति के उपरान्त सामग्री की गुणवत्ता जॉच कैसे कराई गई, स्पष्ट किया जाय।	अंकेक्षण दल द्वारा उठाये गये आपत्ति के आलोक में प्रपत्र एम. एवं एन. प्राप्त किया जा रहा है एवं सामग्री की गुणवत्ता जॉच भवन निर्माण/पुल निर्माण निगम से कराया जा रहा है।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 17	(क) एवं (ख) वैट मद की राशि रू0 6911 एवं खनिज सामग्री पर रॉयल्टी राशि रू0 1989.00 की वसूली संवेदक से की जाय।	वर्त्तमान में अंकेक्षण दल द्वारा उठाये गये आपत्ति के आलोक में सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार संवेदक के विपत्र से कर की कटौती कर ही भुगतान किया जा रहा है।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 18	अनाद्रित चेक की राशि रू0 2.14 लाख संबंधित चेक प्रदाता से वसूल किया जाय।	अनाद्रित चेक संख्या 848175, 848176 एवं 848177 तीनों की राशि निगम रसीद संख्या 21991 दिनांक 17.11.2014 द्वारा निगम कोष में नगद जमा है एवं चेक नं0 83007 दिनांक 05.11.2014 के बदले 50000.00 रू0 का विजया बैंक का ड्राफ्ट नं0 498053 दिनांक 17.11.2014 निगम रसीद सं0 24575 दिनांक 29.11.2014 द्वारा जमा है। स्टॉल का चेक नं0 000010 दिनांक 14.10.2014 रसीद सं0 34362 दिनांक 07.12.2015 द्वारा नगद 9000.00 रू0 जमा करा दिया गया है। इस तरह 214000.00 जमा हो चुका है। (छाया प्रति संलग्न) परिशिष्ट 2 पर।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 19	चेक से प्राप्त होल्डिंग टैक्स की राशि रू0 1.46 लाख चेक निरस्त होने से उक्त राशि से संबंधित चेक दाता से राशि वसूल की जाय।	वसूली हेतु नियमानुकुल कार्रवाई की जा रही है।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 20	दुकान सं0 88 से प्राप्त किराया का जमा संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाय।	रसीद संख्या 5884 दिनांक 19.12.2018 द्वारा राशि जमा करा दी गई है। (छाया प्रति संलग्न) परिशिष्ट 3 पर।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 21	कार्यालय बही, सामग्री क्रय आदि पर व्यय रू0 399.78 लाख का अभिश्रव प्रस्तुत किया जाय।	संबंधित व्यय राशि मो0–385.63 लाख का अभिश्रव की छाया प्रति परिशिष्ट 4 पर संलग्न है। शेष अभिश्रव अंकेक्षक दल के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 22	दैनिक मजदुरी पर अप्राधिकृत व्यय राशि रू0 215.83 लाख की घटनोस्तर स्वीकृति सरकार से प्राप्त की जाय।	सभी दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मी 11.12.1990 के पूर्व से कार्यरत है। इन लोगों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में C.W.J.C.No. 3533/2001 दायर किया गया था। सेवा नियमितिकरण हेतु, माननीय उच्च न्यायालय से पारित आदेश दिनांक 27.08.2014 के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के आदर्श रोस्टर अनुमोदन के पश्चात् स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध आदर्श रोस्टर के अनुसार कुछ दैनिक वेतनभोगी का सेवा नियमितिकरण किया गया है।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 23	स्वीकृत बल से ज्यादा कार्यरत बल के लिए पूर्व से विभाग से स्वीकृति की जाय।		

भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 24	चेक/डी0डी0 से प्राप्त राशि को बैंक में सत्यापन हेतु जमा किया जाय।	चेक/डी0डी0 से प्राप्त राशि को बैंक में ही जमा किया जाता है।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 25	मोबाईल टावरों से पंजीकरण एवं नवीनकरण शुल्क की बकाया राशि वसूली के साथ ही इसका सर्वे कराकर प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।	मोबाईल टावर कुल 244 का पंजीकरण जमा है। वर्ष–2015–16 से श्रृंख्लाबद्ध वाद दायर होने के पश्चात् कम्पनी द्वारा बैंक गारन्टी 16838000.00 रू0 एवं 25 लाख रू0 निगम द्वारा भेजे गये डिमाण्ड के विरूद्ध जमा है। नया सर्वे के लिये टीम का गठन किया गया है तथा रिलायंस जीओ एवं टावर वीजन द्वारा नवीनीकरण की राशि को जमा किया गया है। वर्ष 2018–19 के लिए नया डिमाण्ड तैयार किया गया है।	
भाग 2 खण्ड(ख) कंडिका 26	रू0 67,620 के व्यय से क्रीत सामग्री की भंडार प्रविष्टि करते हुए अभिश्रव प्रस्तुत किया जाय।	क्रीत सामग्री भंडार पंजी में दर्ज है। अभिश्रव की छाया प्रति संलग्न है। (छाया प्रति संलग्न) परिशिष्ट 5 पर।	

28/12/18

नगर आयुक्त,
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।